न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 124 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

लांगा पुत्र श्री हबीब जाति मुसलमान निवासी जालीला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा
2.पंजु पुत्र दाना जाति मेगवाल निवासी जालीला तहसील सेड़वा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 76 / 2011 बनवान लांगा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 06.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जालीला में वादी के दादा कायुम पुत्र हबीब जाति मुसलमान के नाम से वक्त सेटलमेंट में खसरा संख्या 89 रकबा 22.06 बीघा भूमि आई हुई थी। वादी के दादा के फौत होने पर उक्त भूमि वादी के पिता हबीब के नाम से खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादी के दादा के फौत होने पर उक्त भूमि वादी के पिता हबीब के नाम से खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादी के पिता हबीब को पटवारी हल्का जालीला द्वारा गलत रूप से पाकिस्तान जाना बताकर व अपनी भूमि परित्याग करना बताकर रिपोर्ट की गई जिस पर वादी के विरूद्ध 63(1)(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई व दिनांक 28.03.1970 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 28.03.1970 को एकपक्षीय कार्यवाही में वादी के पिता की भूमि गलत रूप से खालसा की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सुनवाई हेतु कैम्प में रखने की सूचना अपीलकर्ता वादी को नहीं दी तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात उन तनकीयात पर साक्ष्य सबूत लेने के पश्चात तनकी वार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात कायम की गई और न ही कोई साक्ष्य पत्रावली पर ली गई और न ही अपने निर्णय में तनकी वार विवेचन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय तथ्य को अनदेखा कर पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के पिता को पाकिस्तान जाना बताकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजी को खालसा घोषित किया गया जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सुनवाई हेतु कैम्प में रखने की सूचना अपीलकर्ता वादी को नहीं दी तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात उन तनकीयात पर साक्ष्य सबूत लेने के पश्चात तनकी वार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात कायम की गई और न ही कोई साक्ष्य पत्रावली पर ली गई और न ही अपने निर्णय में तनकी वार विवेचन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय तथ्य को अनदेखा कर पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट अपनी भूमि का पूर्ण रूप से परित्याग कर अवैध रूप से बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान चला गया था जिससे उक्त भूमि का राज्य सरकार के खाते में खालसा की गई। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा–काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट अपने वकील से पेशी तारीख पूछने हेतु गया तब अपीलांट के वकील ने प्रकरण में निर्णय व डिक्री होने की जानकारी दी जिस पर अपीलांट ने उसी दिन दिनांक 04.08.2017 को नकले मांगी गई जो दिनांक 04.08.2017 को प्राप्त हुई तब अपीलकर्ता को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ तथा जानकारी के बाद अपील अन्दर मियाद पेश की गई अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है एवं विलंब

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया। अपीलांट द्वारा किया गया विलंब नादभाविक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय महाबार में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरता है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 76/2011 बनवान लांगा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(नाथूसिंह सबलावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner